[2020] 3 एस.सी.आर. 887

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा

बनाम

मेसर्स अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

(2009 की सिविल अपील संख्या 6021)

11 फरवरी, 2020

[आर.एफ. नरीमन, एस. रवींद्र भट और वी. रामासुब्रमणियन, न्यायमूर्ति]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: धारा 130क (1) और (4) - उच्च न्यायालय धारा 130क के तहत आवेदन पर निर्णय लेने से पहले प्रत्येक मामले में न्यायाधिकरण से बयान मांगने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं है। धारा 130क (1) और (4) को पढने से यह स्पष्ट होता है कि यदि सीमा शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करता है कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का निर्देश दे, तो उच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा करने या न करने का विवेकाधिकार है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले में न्यायाधिकरण से बयान मांगने की आवश्यकता नहीं है, जहां एक संदर्भ दिया गया है। ऐसा उप-धारा 4 की भाषा के कारण है जो 'यदि' के साथ शुरू होती है। धारा 130क (1) और (4) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि सीमा शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करता है कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का निर्देश दे, तो उच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है। उप-धारा (4) के पढ़ने पर जो बात स्पष्ट है वह यह है कि उच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा करने या न करने का विवेकाधिकार है। यह उप-धारा (4) के पहले शब्द "यदि" से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। धारा 130क की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले उच्च न्यायालय को इस तरह

के किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने से पहले न्यायाधिकरण से बयान मांगने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य करता है। [पैरा 2, 3] [889 ई-एच; 890-ए]

सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान **2002 (146) ई.एल.टी. 27 - खारिज कर दिया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

2002 (146) ई.एल.टी. 27 खारिज कर दिया गया पैरा 3

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2009 की सिविल अपील संख्या 6021

2009 की सिविल अपील संख्या 6072-6073

के साथ

2003 के सीमा शुल्क अधिनियम संख्या 2 के तहत संदर्भ आवेदन में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 09.12.2003 के निर्णय और आदेश से।

के. राधाकृष्णन, तरुण गुलाटी, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुश्री शिरीन खजुरिया, बी. कृष्ण प्रसाद, एजाज मकबूल, सुश्री तान्या श्री, मुहम्मद ईसा एम. हकीम, सुश्री ऐश्वर्या सरकार, कुमार विशालाक्ष, उदित जैन, श्रीमती बीना गुप्ता, अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

आर.एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति:

1. राजस्व की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राधाकृष्णन को कुछ समय सुनने के बाद और एक बड़ी पीठ के संदर्भ आदेश को देखने के बाद, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130क (1) और (4) को निर्धारित करना आवश्यक है।

> "130क - उच्च न्यायालय में आवेदन - (1) सीमा शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष, उस तारीख के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, जिस दिन उसे धारा 129ख के तहत 1 जुलाई, 2003 से पहले पारित आदेश की सूचना दी जाती है (अन्य बातों के अलावा, सीमा शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित आदेश नहीं है), निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके, जहां आवेदन दूसरे पक्ष द्वारा किया जाता है तो दो सौ रुपये के शुल्क के साथ, उच्च न्यायालय में आवेदन करता है कि

अपीलीय न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का निर्देश दिया जाए।"

(4) यदि, उप-धारा (1) के तहत किए गए किसी आवेदन पर, उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन में उठाए गए कानून के प्रश्न को संदर्भित करने का निर्देश देता है, तो अपीलीय न्यायाधिकरण, ऐसे निर्देश की प्राप्ति के एक सौ बीस दिनों के भीतर, मामले का एक बयान तैयार करेगा और इसे उच्च न्यायालय को भेजेगा।"

2. श्री के. राधाकृष्णन ने सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम केंद्रीय विनिर्माण तकनीक संस्थान जिसे 2002 (146) ई.एल.टी. 27 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में इस न्यायालय के 2 विद्वान न्यायाधीशों के एक आदेश का उल्लेख किया जो इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

"1. अनुमति प्रदान की गई। उच्च न्यायालय ने सी.ई.जी.ए.टी. के आदेश से उत्पन्न कानून के प्रश्न के संदर्भ के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और यह कहते हुए मामले का निपटारा किया कि कानून का प्रश्न सी.ई.जी.ए.टी. के आदेश से उत्पन्न नहीं होता है। यह वह चरण नहीं था जिस पर उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोष पर अपने विचार व्यक्त कर सकता था और उच्च न्यायालय के लिए उचित मार्ग एक बयान की मांग करना और फिर कानून के तहत प्रदान किए गए उचित तरीके से मामले का फैसला करना था।

2. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को नए सिरे से जांच के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हैं। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।"

हमें धारा 130क के शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसका तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले में न्यायाधिकरण से एक बयान की मांग करने की आवश्यकता है, जहां एक संदर्भ दिया जाता है। हम ऐसा उप-धारा 4 की भाषा के कारण कहते हैं जो 'यदि' के साथ शुरू होती है।

3. धारा 130क (1) और (4) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि सीमा शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करता है कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का निर्देश दे, तो उच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है। उप-धारा (4) के पढ़ने पर जो बात स्पष्ट है वह यह है कि उच्च

न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर ऐसा करने या न करने का विवेकाधिकार है। यह उप-धारा (4) के पहले शब्द "यदि" से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमें धारा 130क की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो उच्च न्यायालय को, ऐसे किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने से पहले, अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण से बयान मांगने के लिए बाध्य करता है। इसलिए *सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर (उपर्युक्त)* में निर्णय गलत होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

4. सवाल का जवाब तदनुसार दिया जाता है और अपीलों का निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल अपीलों का निपटारा किया गया।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.